

नासिर नगर तोड़फोड़ विवाद में बड़ा खुलासा! निलंबित इंजीनियर ने हाईकोर्ट में नगर आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप, कहा-‘वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हुई कार्रवाई’

सूरत। नासिर नगर में हुई विवादित तोड़फोड़ की कार्रवाई अब कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर नया मोड़ ले चुकी है। इस मामले में निलंबित किए गए सूरत महानगरपालिका (एसएमसी) के कार्यकारी अभियंता सुजल प्रजापति ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपने निलंबन को चुनौती दी है। याचिका में उन्होंने न केवल अपने निलंबन को नियमों के विरुद्ध बताया है, बल्कि सूरत नगर आयुक्त एम. नागराजन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि नासिर नगर में अतिक्रमण हटाने और तोड़फोड़ की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष रूप से नगर आयुक्त के निर्देश पर की गई थी, लेकिन बाद में पूरी जिम्मेदारी उन पर डालकर बिना विभागीय जांच के निलंबित कर दिया गया।

इस याचिका ने पूरे मामले को नया आयाम दे दिया है। अब तक प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा यह विवाद अब अदालत में नगर निगम की निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक जवाबदेही और अधिकारों के प्रयोग जैसे महत्वपूर्ण सवालों के केंद्र में पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने भी प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कुछ अहम टिप्पणियां करते हुए नगर आयुक्त

सूरत जिला माहेश्वरी सभा को मिला नया नेतृत्व, अतीन बाहेती अध्यक्ष और भगवती गगगड़ सचिव निर्वाचित; समाजहित के नए संकल्प के साथ कार्यकाल की शुरुआत

सूरत। सूरत जिला माहेश्वरी सभा के वर्ष 2026–2029 कारकाल के लिए आयोजित अष्टम सत्र के चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गए। समाज के सदस्यों ने बड़ी संख्या में मतदान में भाग लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। चुनाव परिणाम घोषित होते ही सभा परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया तथा समाज के वरिष्ठजनों और सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नए कार्यकाल के लिए सफल नेतृत्व की कामना की।

सभा कार्यालय स्थित श्याम प्लाजा, सूरत में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ। निर्धारित समय के दौरान समाज के पात्र मतदाताओं ने अनुशसित ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग किया।



चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और अग्रिमित किया गया था। उसी संदेश के आधार पर नासिर नगर क्षेत्र में कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे। प्रजापति ने अदालत को बताया कि उन्होंने किसी व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो वे इस संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के



लिए भी तैयार हैं। प्रजापति के अनुसार कार्रवाई वाई-7 स्थित चंद्रशेखर अजाद ब्रिज के निकट प्रस्तावित 60 फीट टीपी रोड के लिए रास्ता साफ करने तथा अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से की गई थी। उनका कहना है कि उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि प्रस्तावित सड़क क्षेत्र में मौजूद अवरोधों को हटایा जाए ताकि परियोजना

आगे बढ़ सके। उन्होंने अदालत में कहा कि एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उन्होंने केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन किया। याचिका में सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि नगर आयुक्त ने स्वयं कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन बाद में अदालत में यह कहा गया कि संबंधित तोड़फोड़ अधिकृत नहीं थी। प्रजापति

का कहना है कि यह तथ्य वास्तविक घटनाक्रम से मेल नहीं खाता। उन्होंने दावा किया कि जांच समिति के समक्ष भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि पूरी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई थी, लेकिन उनकी बात पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसएमसी द्वारा गठित जांच समिति

सरेआम पत्नी पर बरसाए मुक्के, सड़क पर घसीटकर की बेरहमी से पिटाई; सीसीटीवी वायरल होते ही पति गिरफ्तार, महिला मित्र पर भी केस

सूरत। मोटा वराछा क्षेत्र में दिनदहाड़े एक महिला के साथ हुई बर्बर मारपीट की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया। बीच सड़क पर पति द्वारा पत्नी को बाल पकड़कर घसीटने, मुक्कों से हमला करने और सार्वजनिक रूप से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उतरन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का घटनास्थल पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम का पंचनामा भी कराया। मामले में आरोपी की महिला मित्र के खिलाफ भी एकआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस घटना ने घरेलू विवादों के हिंसक रूप और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, पीड़िता हीरलबेन, जो अमरोली क्षेत्र की निवासी हैं, अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए एक ब्यूटी पार्लर

ने वास्तविक जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच करने के बजाय केवल यह पता लगाने का प्रयास किया कि कार्रवाई किस अधिकारी ने की। जबकि उनके अनुसार वास्तविक निर्णय और निर्देश उच्च स्तर से दिए गए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाती तो पूरी प्रशासनिक श्रृंखला सामने आ जाती। अपनी दलीलों के समर्थन में सुजल प्रजापति ने अदालत के समक्ष कुछ चैट स्क्रीनशॉट भी प्रस्तुत किए हैं। उनका दावा है कि एसएमसी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नासिर नगर की तोड़फोड़ से संबंधित वीडियो और जानकारी साझा की गई थी। इतना ही नहीं, संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक गुप में भी इस कार्रवाई की जानकारी प्रसारित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि निलंबन के बाद उन्हें उस आधिकारिक गुप से हटा दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन पूरे मामले से दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है।

याचिका में नासिर नगर के प्रभावित परिवारों का मुद्दा भी उठाया गया है। प्रजापति का कहना है कि 3 जून को प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए

सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी। उनके अनुसार इस कार्रवाई से 59 मकान प्रभावित हुए थे, लेकिन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पहले पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए था और उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया। सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि हाल ही में सूरत में आई बाढ़ और रहत कार्यों के कारण प्रशासन अत्यधिक व्यस्त रहा, इसलिए विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता है। हालांकि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित संदेश नगर आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता को अग्रिमित किया गया था। अदालत ने इस संबंध में नगर आयुक्त को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यदि अदालत में प्रस्तुत डिजिटल साक्ष्य और चैट रिकॉर्ड प्रमाणित हो जाते हैं तो मामले

की दिशा बदल सकती है। यह केवल एक निलंबन का मामला नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, निर्णय प्रक्रिया और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी न्यायिक जांच का विषय बन सकता है। गौरतलब है कि नासिर नगर तोड़फोड़ का मामला पहले से ही व्यापक विवाद का विषय बना हुआ है। अदालत पर विचारों, पुनर्वास, प्रशासनिक प्रक्रिया और कार्रवाई की वैधता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब निलंबित कार्यकारी अभियंता द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद यह विवाद और गहरा गया है। हाईकोर्ट ने नासिर नगर तोड़फोड़ से संबंधित मुख्य याचिका पर 20 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की है, जबकि कार्यकारी अभियंता सुजल प्रजापति की निलंबन संबंधी याचिका पर 21 जुलाई से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित संदेश नगर आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता को अग्रिमित किया गया था। अदालत ने इस संबंध में नगर आयुक्त को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यदि अदालत में प्रस्तुत डिजिटल साक्ष्य और चैट रिकॉर्ड प्रमाणित हो जाते हैं तो मामले

बिहार में ट्रेन की खिड़की में मोबाइल चोर पकड़ा गया, पुलिस ने उसे 8-9 किलोमीटर तक लटकने के बाद पकड़ा
(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। बिहार के एक स्टेशन पर खिड़की से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रहे एक चोर को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ट्रेन चलने ही वाली थी कि मोबाइल चोर ने खिड़की से हाथ अंदर डाला। लेकिन खिड़की के पास बैठे यात्री सतर्क थे और जैसे ही उसका हाथ मोबाइल फोन तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। चोर खिड़की के बाहर लटक गया और अंदर बैठे यात्रियों ने उसका हाथ पकड़ रखा था, तभी ट्रेन चलने लगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें युवक खिड़की के बाहर लटका हुआ है। वह गड़गड़ा रहा है कि कृपा मेरा हाथ छोड़ दे, लेकिन यात्री उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। खगडिया स्टेशन पर हुई इस घटना में बताया जा रहा है कि लोगों ने चोर को ट्रेन से लटकाकर करीब आठ-नौ किलोमीटर तक घसीटा। अंदर बैठे यात्रियों ने उसका वीडियो भी बनाया और उसमें उसका नाम और पता पूछा। चोर ने अपना नाम छोटू यादव और पिता का नाम पंकज यादव बताया। वह लखमिगिया गांव का रहने वाला था। उसने बचाव में कहा कि वह अपने किसी रिश्तेदार को ढूढ़ रहा था। यात्रियों ने उसका हाथ तब तक पकड़े रखा जब तक वह पास के दूसरे स्टेशन पर नहीं पहुंच गया। यह घटना 9 जुलाई की रात को घटी। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में माता-पिता के एसआईआर विवरण प्रदान करना अनिवार्य है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के इच्छुक नए आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, अब से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 जमा करने के साथ-साथ आवेदकों को अपने माता-पिता के “विशेष गहन पुनरावलोकन” (यानी एसआईआर) का विवरण देना अनिवार्य होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस नए

प्रावधान के लिए मुख्य वैधानिक प्रपत्र-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन यह घोषणा ने प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से जोड़ी गई है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर प्रपत्र-6 भरता है, तो जब तक वह इस नई घोषणा के कॉलम में माता-पिता के एसआईआर विवरण नहीं भरता, तब तक आवेदन प्रक्रिया स्थिस्टम में अगे नहीं बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम समेत कई इलाकों में अल्पसंख्यक वोटों

को बड़े पैमाने पर हटाए जाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि ये आरोप निराधार हैं। सभी मतदाताओं को मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने की चुनौती देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अब इस नए नियम से पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं के लिए माता-पिता के पुराने चुनावी रिकॉर्ड खोजने की प्रक्रिया और भी बढ़ जाएगी।



लगभग 800 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा, कल्पनाशीलता एवं अभिव्यक्ति कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन

किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अमृत भारत स्टेशन योजना, स्वच्छता, पर्यावरण

संरक्षण तथा भारतीय रेल के विकास एवं आधुनिकीकरण के प्रति जागरूकता विकसित करना था। प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत चित्रों एवं निबंधों में नवीन सोच,

सामाजिक संदेश तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों तथा विजेताओं को वीडियो कार्टूनस के माध्यम से होने वाले पोरबंदर स्टेशन के लोकार्पण समारोह में 17 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाएंगे। पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सफलता में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। मंडल प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों को उत्कृष्ट सहभागिता के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी ऐसे रचनात्मक, शैक्षणिक एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।



